माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

No-BSER/IT&Cell/2024/SPL-1 दिनांक 13.03.2024

वर्ष 2024 की सभी मुख्य परीक्षाओं के परिणाम वेबसाइट, मोबाइल व आईवीआरएस पद्वति से कार्यालय को सेवा देने के लिए फर्मो के पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक–25.03.2024 तक आमंत्रित है। आवेदन के साथ फर्म का कार्य क्षेत्र, संबंधित कार्य का अनुभव तथा वर्तमान में इस प्रकार की दी जा रही सेंवाओ का विस्तृत विवरण/प्रमाण संलग्न होना चाहिए। उपरोक्त कार्य उन्हीं चयनित फर्मो से कराया जाएगा जो वास्तव में स्वयं सेवा प्रदाता है अथवा स्वयं द्वारा सेवा देने हेतु अन्य फर्मो का नेटवर्क प्रयोग करने हेतु कोलोबोरेशन किया हुआ है। इस हेतु फर्मो को उपरोक्त विवरण मय प्रमाण सहित आवेदन शुल्क रू. 100/– (अक्षरे रूपये सौ मात्र/–) के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर संलग्न शपथ पत्र के रूप में तथा पंजीयन शुल्क रूपये 1,50,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख पचास हजार मात्र/–) का डिमांड ड्राफ्ट सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नाम अथवा नगद राशि दिनांक– 31.03. 2024 अपराह 3.00 बजे तक आवश्यक रूप से बोर्ड कार्यालय मे सेकैंडरी, प्रवेशिका, सीनियर सेकैंडरी व वरिष्ठ उपाध्याय के परिणाम देने के लिए जमा करानी होगी।

आवेदन के लिफाफे पर वर्ष 2024 के परीक्षा परिणाम बाबत् पंजीयन हेतु आवेदन अंकित किया जाना होगा।

सचिव

बॉण्ड

मै .... पुत्र श्री ....

निवासी .... अधिकृत प्रशासनिक प्रतिनिधि .... (फर्म का नाम) की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर (बोर्ड) को बोर्ड परीक्षा 2024 परिणाम इन्टरनेट / एस एम एस व अन्य के माध्यम से निम्नानुसार उपलब्ध कराने की अभिस्वीकृति देता हूँ :–

1. यह कि फर्म उक्त सुविधा इन्टरनेट/ एस एम एस/ आई वी आर एस इत्यादि हेतु निम्न वेबसाईट / टेलिफोन/मोबाईल आदि पर सेवाएं देगी।

इन्टरनेट

S.No.	Namer of Exam.	Web Site

एस एम एस

S.No.	SMS TO	Description (Syntex and operator)

लगातार 2

आई वी आर एस

S.No.	SMS TO	Description (Syntex and operator)

उपरोक्त मे कोई फेरबदल नही किया जावेगा।

1. यह कि परिणाम हेतु बोर्ड द्वारा गोपनीय कोड सूचना बोर्ड के तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर) से परीक्षा परिणाम धोषित होने के 10 मिनट पूर्व ही फर्म द्वारा लिये जा सकेगे। फर्म उक्त सूचना को परीक्षा परिणाम धोषित होने से पूर्व पूर्ण रूप से गोपनीय रखेगी।
2. यह कि बोर्ड यह सुविधा वर्तमान मे केवल परीक्षा 2024 तक के लिये ले रहा है। तत्पश्चात् बोर्ड स्तर पर आपसी सहमति से निर्णय लिया जाकर इसे Extension दिया जा सकता है।
3. यह कि फर्म द्वारा उपरोक्त समस्त सेवा बोर्ड को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। बोर्ड केवल डाटा उपलब्ध करायेगा व इसके अलावा बोर्ड पर किसी भी प्रकार का वितीय भार नही होगा।
4. यह कि फर्म द्वारा बोर्ड को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओ का प्रचार प्रसार फर्म द्वारा अपने स्तर पर ही किया जायेगा।
5. यह कि फर्म द्वारा बोर्ड बोर्ड को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओ मे यदि कोई तकनीकी अथवा अन्य खराबी आती है तो फर्म द्वारा उक्त तकनीकी खराबी 24 धण्टो के भीतर ठीक करना होगा। अगर फर्म द्वारा उक्त समय मे सुविधाओ को संचालित नही किया जा सका तो बोर्ड अपने स्तर पर उक्त सुविधाओ के लिए अन्य व्यवस्था फर्म को भी जोखिम एवं लागत पर कराने के लिए सक्षम एंव स्वतन्त्र होगा।
6. यह कि बोर्ड द्वारा फर्म को परीक्षा परिणाम उनके द्वारा दिये गये एक ई–मेल पर उपलब्ध उपलब्ध कराया जायेगा। अतः ई–मेल का पता साफ एवं सुस्पष्ट अंकित होना चाहिये।
7. यह कि फर्म यह सुनिश्चित करेगी की परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा बताई दिनांक व समय पर ही उपलब्ध हो एवं परिणाम जानने का Response Time कम से कम हो एवं फर्म द्वारा आवश्यक Disclaimer भी प्रदर्शित किया जावें।
8. यह कि फर्म द्वारा किसी भी तरह के अश्लील एवं अनैतिक विज्ञापन वेबसाइट, दूरभाष, मोबाईल इत्यादि पर प्रदशित नही किये जायेगे केवल शालीन व शैक्षिक विज्ञापन का ही प्रदर्शन किया जायेगा। विज्ञापनो को बोर्ड के तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर) (ए.सी.पी) से जारी करने से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।
9. फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा। कि उनके Server पर Fire wall एवं Security System इत्यादि लगाये हुये है, जिससे किसी भी प्रकार से अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वायरस परीक्षा परिणाम वाले सरवर को Access न कर सके।
10. बोर्ड द्वारा दी गई परीक्षा परिणाम सूचना केवल फर्म द्वारा ही उपयोग मे ली जायेगी एवं यह इसे किसी भी अन्य फर्म/व्यक्ति को समान अथवा अलग प्रकृति के कार्यो के लिये नही देगी।
11. यह कि फर्म का उक्त सुविधा Exclusive नही दी जा रही है एवं बोर्ड द्वारा अन्य समान प्रकृति का कार्य कर रही फर्म को भी बोर्ड का परीक्षा परिणाम दिया जा सकता है।
12. यह कि यदि बोर्ड यह महसूस करती है, कि फर्म द्वारा उक्त सूचना परीक्षार्थी को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नही हो रही है तो फर्म को आगे धोषित होने वाले परीक्षा परिणाम नही दिये जायेगे।
13. फर्म द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक अंकतालिका पर निम्न वाक्य प्रदर्शित होना चाहिये "आप अपनी अकतालिका की प्रति अपने जिले के विद्यार्थी सेवा केन्द्र से प्राप्त कर सकते है।"

14. यह कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति मे अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष,राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर का रहेगा।

(फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय सील)　　　　　　　　सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड